निविदा सूचना

44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के परिसर में चाय, शीतल पेय, मिठाई, नमकीन इत्यादि जलपान सामग्री बेचने के लिये वेट कैन्टीन हेतु एक ठेकेदार को नियुक्त करने के लिये सील बन्द लिफाफे मे टेन्डर आंमत्रित किये जाते है:–

केण्टीन को ठेके पर लिये जाने हेतु सील बन्द निविदाये मुहर बन्द लिफाफे मे दिनांक :– 26–06–2025 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिये लिफाफे के ऊपर कैण्टीन मर्चेन्ट के लिये टेण्डर लिखा होना चाहिये विलम्ब से अथवा अधूरी प्राप्त होने वाली निविदाये स्वीकार नही की जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र जो 44वी वाहिनी पीएसी मेरठ के अन्तर्गत प्रधान लिपिक शाखा से नगद रू0 400/– एवं निर्धारित देय 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान प्रदान कर प्राप्त किया जा सकती है, निविदा निर्धारित प्रपत्र पर होना आवश्यक है, जो तददिनांक को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय में वाहिनी के उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

सेनानायक को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा, कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते है। अस्वीकार की गयी निविदा के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नही होगें। प्रत्येक निविदा के साथ रू0–5000/– अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना होगा। जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार होगी, उसे सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर (एग्रीमेन्ट डीड) नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा। जिसके प्रतिबन्धो के लिये वह बाध्य होगा ।

स्वीकृत निविदा वाले व्यक्ति को सूचना के एक सप्ताह के अन्दर धनराशि रू0– 5000/– बतौर जमानत के वाहिनी मेनिटीज फण्ड में आंकिक के पास जमा करनी होगी। यदि निविदा स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर–पत्र (एग्रीमेन्ट डीड) नही भरता है अथवा जमानत की धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुये दूसरे व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जा सकती है अथवा पुनः निविदा आमन्त्रित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सेनानायक जो उचित समझे कार्यवाही कर सकते है।

कैण्टीन ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि ठेकेदार कैन्टीन बन्द करता है, तो ठेकेदार के द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट के आधार पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

निविदा की शर्ते

1– खादय सामग्री की क्वालिटी एवं कीमत प्रत्येक माह वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही विकय की जा सकेगी।

2– किसी नशीले पदार्थ गुटका/सिगरेट/बीडी/तम्बाकू आदि का विक्रय नही किया जायेगा।

3– ठेका मिलने वाले व्यक्ति को बटालियन एमेनिटीज फण्ड रिबेट नही होगा। रिबेट देने वाले ठेकेदार की निविदा स्वीकृति पर सेनानायक द्वारा विचार किया जायेगा।

4– ठेकेदार कैन्टीन में को आपरेटिव डेयरी का दूध प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी दशा में प्राईवेट से दूध का कय नही करेगा। इस अनियमितता का दोषी पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

5– ठेकेदार को निम्न शर्तो पर आधारित फार्म भरना होगा। इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करें जिनको शर्ते स्वीकार होगी:–

रिबेट की धनराशि	रू0– 37000/–प्रतिमाह की दर से कम नहीं होगी।
भूमि का किराया–	रू0– 500–00 प्रतिमाह
स्वीपर/कूड़ा निस्तारण चार्ज	रू0– 500–00 प्रतिमाह
पानी चार्ज	रू0– 500–00 प्रतिमाह

बिजली चार्जेज मीटर रीडिग की व्यवसायिक दर से प्रतिमाह देना होगा।

6– उक्त काउण्टर का ठेका निविदा के स्वीकृति के दिनांक से 31.03.2026 तक रहेगा।

7–ठेकेदार उक्त कैन्टीन में एवं उसके आस–पास किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन सेनानायक की पूर्व अनुमति के बिना नही करेगा।

8–ठेकेदार केन्टीन व उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखेगा।

9– ठेकेदार कैन्टीन में किसी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत कच्चा अथवा पक्का सामान या आपत्तिजनक वस्तु नही बेचेगा।

10– ठेकेदार कैन्टीन में कोई नशीली वस्तु तस्कर का सामान, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सामान या अन्य आपत्तिजनक सामान नही बेचेगा।

11–कैन्टीन में राशन कार्ड का कोई सामान नही बेचेगा।

12– ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को सामान उधार नही देगा। यदि उधार देता है तो उसके लिये वह स्वय जिम्मेदार होगा।

13– ठेकेदार कैन्टीन पर कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति नौकर के रूप में नही रखेगा।

14–ठेकेदार द्वारा दैनिक जलपान की वस्तुये पर्याप्त मात्रा मे एव अच्छी क्लालिटी की कैन्टीन में रखनी होंगी।

15– कैन्टीन खुले होने पर सेनानायक अथवा वाहिनी के अन्य राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के काउण्टर का निरीक्षण कर सकते है।

16– ठेकेदार कैन्टीन में उपलब्ध सामान की एक सूची कैन्टीन में लगायेगा।

17– ठेकेदार कैन्टीन का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा।

18–ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है,, अधिक रेट पर सामान बैचने की शिकायत मिलती है, वाहिनी में प्रचलित नियमो को तोडता है, प्रशासनिक आदेशो का उल्लंघन करता है या ऐसा करने के लिये किसी कर्मचारी को बढावा देता है तो सेनानायक को अधिकार होगा कि ठेकेदार के विरूद्व रू0–500–00 तक जुर्माना कर सकता है। ठेकेदार कैन्टीन ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि कैन्टीन समाप्त करता है तो ठेकेदार के द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

19– कैन्टीन में कोई सामान बाजार मूल्य से अधिक रेट पर नही बेचेगा। सेनानायक द्वारा मनोनीत कमेटी द्वारा प्रतिमाह बाजार से जॉचकर विभिन्न वस्तुओ का भाव करेगी। ठेकेदार कमेटी की रिपोर्ट मानने के लिये बाध्य होगा।

20– प्रत्येक ठेकेदार अपने–अपने टेण्डर के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत होना चाहिये।

21– ठेकेदार द्वारा कैन्टीन पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा चरित्र संत्यापन के उपरान्त ही किसी व्यक्ति को कैन्टीन पर कार्य करने हेतु रखेगा।

22–ठेकेदार को खाद्य सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पत्रांकः क– 03/2020

दिनांक 18 –06–2025

18.6.2025

सेनानायक

06वीं वाहिनी पीएसी

अतिरिक्त प्रभार

44वीं वाहिनी पीएसी

मेरठ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाऐ पुलिस तकनीकी सेवाये मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त टेण्डर नोटिस का विज्ञापन पुलिस विभाग की बेबसाईड पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।

2–पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

3– जिलाधिकारी, मेरठ।

4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद/गौतमबुद्वनगर/बुलन्दशहर/बागपत/हापुड/शामली/मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर।

5– जिला सूचना अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं स्थानीय अखबार में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु ।

6– सेनानायक 6/41/47/49वीं वाहिनी पीएसी।

7– ठेकेदार श्री विशाल कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामान्द, निवासी एल–1069 शास्त्री नगर मेरठ।

8– ठेकेदार श्री भैयालाल पुत्र श्री प्रभाती लाल, बी–864 सैनिक विहार, ककंरखेडा मेरठ।

9– ठेकेदार श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, म0नं0—14न्यू हनुमानपुरी, एस0के0रोड, मेरठ।

10–ठेकेदार श्री नानक मित्तल, सिगनल रेजीमेन्ट मेरठ कैण्ट मेरठ।

11– ठेकेदार श्री कान्तीलाल ,इन्जीनियरिंग वर्कशाप मेरठ कैन्ट मेरठ।

12– ठेकेदार श्री जगमोहन बंसल, बंसल कैन्टीन रजबन मेरठ।

13– ठेकेदार श्री सुदेश मलिक, जागृति बिहार, मेडिकल कालेज के सामने, मेरठ।

14– ठेकेदार श्री उमाशंकर गोयल, बेगा इन्टरप्राईजेज दिल्ली रोड मेरठ।

15– ठेकेदार कैन्टीन 6पीएसी, मेरठ।

16– ठेकेदार श्री बंजरग लाल शर्मा पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी नागला बनेटी जयपुर राजस्थान।

17– केन्टीन ठेकेदार पी0टी0एस0/ पुलिस लाइन मेरठ।

18– ठेकेदार श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम काजीपुर थाना खरखौदा डाक घोसीपुर तहसील मेरठ ।

19–शिविरपाल/प्रधान लिपिक/आंकिक, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

20–श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, गाव–बनेठी, तहसील–कोटपुतली जिला–जयपुर (राजस्थान)